

यह तथ्य-पत्र सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। कानून की व्याख्या व लागू किए जाने के उद्देश्य के लिए कृपया *इम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एक्ट एंड रैग्यूलेशन* का हवाला लें।

सितंबर 2017

कृषि मजदूर

'कृषि मजदूर' की परिभाषा

इम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एक्ट एंड रैग्यूलेशन में परिभाषित कृषि मजदूर वह व्यक्ति है जो खेती, पशुपालन, बाग़ या कृषि संबन्धी कार्यों में नौकरी करता है तथा जिसकी नौकरी के प्रमुख कर्तव्यों में निम्न में से कोई समाहित है:

- इनमें से कोई भी कार्य करना – उगाना, पालना, संभाल रखना, खेती करना, उत्पन्न करना, फसल काटना या उत्पादन का वध करना।
- भूमि की सफाई करना, नाली से बहाकर पानी निकालना, या भूमि की सिंचाई या जुताई।
- कृषि की मशीनों, उपकरणों या सामान को उपरलिखित उद्देश्य से प्रयोग करने के लिए चलाना।
- यदि बिक्री वहीं तथा केवल उस उत्पादन के सामान्य कटाई के दौर में ही हुई हो, उपरलिखित किसी भी परिचालन के उत्पादन की बिक्री करना।
- इस परिचालन में उत्पादित उपज की बिना कुछ बदले प्रथम धुलाई, सफाई, छंटाई, श्रेणीकरण या पैक करना, या इस से मिलती जुलती उपज को किसी अन्य परिचालक से सामान्य कटाई के दौर में खरीदना।

कृषि मजदूर में निम्न में से कोई शामिल नहीं होता:

- जो व्यक्ति खेती, पशुपालन, बाग़ या कृषि उत्पादनों की उपज को ढालने के कार्य [प्रोसैसिंग] में नौकरी करता है।
- भूमि को सुंदर बनाने वाला या पौधों को रोपने का काम करने वाला
- मछली पालन में नौकरी-प्राप्त व्यक्ति

नीचे वर्णित कुछ महत्वपूर्ण अपवादों के साथ कृषि मजदूर *इम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एक्ट एंड रैग्यूलेशन* के अधिकांश भागों द्वारा सुरक्षित है।

न्यूनतम मजदूरी

जो कृषि मजदूर विशेष उपज की फसल की कटाई हाथों से करते हैं उनके वेतन का भुगतान प्रति अंश (पीस) की दर से किया जा सकता है। यदि नियोक्ता अंश की दर से भुगतान करना चुनता है तो कम से कम रैग्यूलेशन में स्थापित प्रति उपज की न्यूनतम दर कृषि मजदूर को अवश्य मिलनी चाहिए। नीचे अंश दर की सूची दी गई है।

जहाँ कृषि मजदूर के वेतन का भुगतान अंश दर से होता है, नियोक्ता को निम्न जानकारी वाला नोटिस अवश्य चिपकाना होगा:

- जिन पात्रों में फसल चुगनी है उस पात्र का माप;
- उपज का माप या वज़न जिसको पात्र में भरकर रखना है; तथा
- उपज की अंश दर।

सभी कृषि मजदूरों को, चाहे उन्हें घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता हो, वेतन के आधार पर अथवा किसी अन्य प्रकार से, कम से कम न्यूनतम मजदूरी देना ज़रूरी है।

नोट: सीज़नल एग्रीकल्चरल वर्कर प्रोग्राम (एस ए डब्ल्यू पी) के अंतर्गत कृषि मजदूरों के वेतन का भुगतान अवश्य ही एस ए डब्ल्यू पी के समझौते के अनुसार होना चाहिए। एस ए डब्ल्यू पी के समझौते पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया सर्विस कैनेडा को 1-800-367-5693 पर संपर्क करें।

अगले पृष्ठ पर...

वेतन का भुगतान

सभी कृषि मजदूरों के वेतन का भुगतान महीने में कम से कम दो बार अवश्य होना चाहिए।

प्रति घंटे व आय के अनुसार दिए जाने वाले वेतन का भुगतान उस भुगतानावधि के अंत होने के बाद आठ दिनों के भीतर अवश्य हो जाना चाहिए।

अंश दर से फसल की कटाई करने वालों को महीने के मध्य में उनके अनुमानित वेतन का 80 प्रतिशत अवश्य मिल जाना चाहिए। शेष वेतन महीने के अंत के आठ दिनों के भीतर भुगता दिया जाना चाहिए।

लाइसेंस युक्त कृषि मजदूर ठेकेदारों को वेतन का भुगतान सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में कर देना चाहिए।

वेतन से कटौतियाँ

नियोक्ता कर्मचारी की अर्जित कमाई से कानूनन अपेक्षित सरकारी कटौतियों (जैसे कि आय कर, सी पी पी, तथा ई आई) या कर्मचारी के लिखित रूप से दी गई अनुमति के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता, कटौती नहीं कर सकता, या वेतन किसी और रूप में नहीं दे सकता।

कर्मचारी की लिखित अनुमति के बावजूद भी नियोक्ता कर्मचारी से उसके वेतन में से व्यवसाय को चलाने के खर्च का हिस्सा देने की अपेक्षा नहीं कर सकता है।

अतिरिक्त समय

कृषि मजदूर अतिरिक्त समय के वेतन के हकदार नहीं हैं। फिर भी, कर्मचारी की सेहत व सुरक्षा के लिए हानिकर होने पर नियोक्ता से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह कृषि मजदूर को अत्यधिक घंटे काम करने दे।

वार्षिक अवकाश तथा अवकाश वेतन

अंश दर से फसल की कटाई करने वालों के लिए नीचे दी गई अंश दर में अवकाश वेतन शामिल है।

आय या प्रति घंटा वेतन के अन्तर्गत कृषि मजदूर के अधिकार:

- निरंतर 12 महीनों के काम के बाद दो सप्ताह का तथा पाँच वर्ष के निरंतर काम के बाद तीन सप्ताह का अवकाश।
- काम के पाँच दिनों के बाद चार प्रतिशत तथा पाँच वर्षों के बाद छह प्रतिशत का अवकाश वेतन। (देखें *वार्षिक अवकाश* तथ्य-पत्र)

अवकाश वेतन का भुगतान:

- वार्षिक अवकाश के शुरू होने से कम से कम सात दिन पहले, या यदि कर्मचारी व नियोक्ता की सहमति हो तो वेतन भुगतान के नियमित समय पर; या
- यदि एक वर्ष से पहले ही काम की समाप्ति हो जाती है तो वेतन के अंतिम चेक में।

सरकारी छुट्टियाँ

कृषि मजदूर सरकारी छुट्टियों के अधिकार से बाहर हैं।

वेतन ब्यौरा

वेतन भुगतान वाले दिन नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी को एक लिखित ब्यौरा अवश्य दे जिसमें निम्न जानकारी शामिल हो:

- नियोक्ता का नाम व पता;
- किये गये काम के घंटे;
- कर्मचारी की वेतन दर, चाहे वह प्रति घंटे, आय, एकभाव अर्थात् फ्लैट रेट, अंश दर, कमीशन या अन्य प्रेरक या इन्सैटिव के आधार पर हो;
- कोई भी धन, भत्ता, या अन्य कोई अदायगी, जिसका कर्मचारी अधिकारी है;
- प्रति कटौती की धनराशि तथा उद्देश्य;
- यदि कर्मचारी को प्रतिघंटे या आय के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से वेतन दिया गया है तो उसकी गणना करने का तरीका; तथा
- कर्मचारी की कुल तथा वास्तविक आय, यदि लागू हो तो कर्मचारी के टाइम बैंक से निकाली गई राशि और शेष राशि।

प्रति इकाई पैदावार (पीस वर्क क्राप) के लिए न्यूनतम वेतन

जो कृषि मजदूर पीस वर्क आधार पर नियोजित किए जाते हैं और निम्नलिखित फसलों की हाथ से कटाई करते हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निम्न प्रकार है: (दरों में आय के चार प्रतिशत के बराबर का अवकाश वेतन शामिल है):

फसल	सितंबर 15, 2016	सितंबर 15, 2017
सेब	\$ 18.06/ डिब्बा (27.1 क्यू. फीट)	\$18.89 प्रति डिब्बा (27.1 क्यू. फीट / 0.767 क्यू. मीटर)
खुबानी	\$ 20.77/ 1/2 डिब्बा (13.7 क्यू. फीट)	\$21.73 प्रति 1/2 डिब्बा (13.7 क्यू. फीट / 0.388 क्यू. मीटर)
फलियां	\$ 0.248/ पाउंड	\$0.259 प्रति पाउंड / \$0.571 प्रति किलो
ब्लू बेरी	\$ 0.419/ पाउंड	\$0.438 प्रति पाउंड / \$0.966 प्रति किलो
ब्रसलज़ स्प्राउट्स	\$ 0.172/ पाउंड	\$0.180 प्रति पाउंड / \$0.397 प्रति किलो
चैरी	\$ 0.237/ पाउंड	\$0.248 प्रति पाउंड / \$0.547 प्रति किलो
अंगूर	\$ 19.19/ 1/2 डिब्बा (13.7 क्यू. फीट)	\$20.07 प्रति 1/2 डिब्बा (13.7 क्यू. फीट / 0.388 क्यू. मीटर)
मशरूम	\$ 0.249/ पाउंड	\$0.260 प्रति पाउंड / \$0.573 प्रति किलो
आड़ू	\$ 19.19/ 1/2 डिब्बा (12.6 क्यू. फीट)	\$20.07 प्रति 1/2 डिब्बा (12.6 क्यू. फीट / 0.357 क्यू. मीटर)
नाशपाती	\$ 20.33/ डिब्बा (27.1 क्यू. फीट)	\$21.27 प्रति डिब्बा (27.1 क्यू. फीट / 0.767 क्यू. मीटर)
मटर	\$ 0.309/ पाउंड	\$0.323 प्रति पाउंड / \$0.712 प्रति किलो
आलू बुखारा	\$ 20.33/ 1/2 डिब्बा (13.7 क्यू. फीट)	\$21.27 प्रति 1/2 डिब्बा (13.7 क्यू. फीट / 0.388 क्यू. मीटर)
रास्पबेरी	\$ 0.378/ पाउंड	\$0.395 प्रति पाउंड / 0.871 प्रति किलो
स्ट्रॉबेरी	\$ 0.363/ पाउंड	\$0.380 प्रति पाउंड / \$0.838 प्रति किलो
डैफोडिलज़**	\$0.145/ गुच्छा (10 टहनियां)	\$0.152 प्रति गुच्छा (10 टहनियां)

**डैफोडिलज़ की दर में अवकाश वेतन शामिल नहीं होता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया इम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स ब्रांच से संपर्क करें।

A207 – 20159 88th Avenue

Langley BC VIM 0A4

फैक्स: 604-513-4622

या एग्रीकल्चरल कॉम्प्लायंस हॉटलाइन पर फोन करें:

604-513-4604